"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2008—वैशाख 19, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं साहेबदास मानिकपुरी आत्मज श्री चुड़ामनीदास कबीर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ए पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वार्टर 10/सी, मड़ोदा सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर साहेब मानिकपुरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे साहेब मानिकपुरी आत्मज श्री चुड़ामनीदास कबीर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
साहेबदास मानिकपुरी आत्मज-चुड़ामनीदास कबीर निवासी-ए पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वार्टर 10/सी मड़ोदा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	साहेब मानिकपुरी आत्मज-चुड़ामनीदास कबीर निवासी-ए. पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वार्टर 10/सी मड़ोदा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अलखराम ध्रुव पिता स्व. देवनारायण ध्रुव, उम्र 52 वर्ष, निवासी पथरागुड़ा वार्ड, जगदलपुर का हूं तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, आंचलिक कार्यालय जगदलपुर में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूं. मैं अपने उपनाम (ध्रुव) को परिवर्तित कर उपनाम सिन्हा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अलखराम सिन्हा आत्मज स्व. देवनारायण ध्रुव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अलखराम ध्रुव आत्मज-स्व. देवनारायण ध्रुव निवासी-पथरागुड़ा वार्ड, जगदलपुर (छ. ग.)	अलखराम सिन्हा आत्मज-स्व. देवनारायण ध्रुव निवासी-पथरागुड़ा वार्ड, जगदलपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 21 अप्रैल 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

क्रमांक/183/प्र. 1/अ.वि.अ./2008.—चूंकि सदर (प्रधान) डॉ. एम. एल. अग्रवाल एवं अन्य 12 द्वारा "तीर्थराज देवि निकुंभला" ग्राम निकुम तह. व जिला दुर्ग ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-5-08 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, क्यू. ए. खान, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 21-5-08 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित

कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	"तीर्थराज देवि निकुंभला" ग्राम निकुम तह. व जिला दुर्ग.
(2)	संपत्ति रुपये	:	5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) समाज द्वारा संग्रहित राशि.

क्यू. ए. खान,
अनुविभागीय अधिकारी
एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2148.—पंजीयन क्रमांक 134 दिनांक 7-10-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, रेल्वे सुरक्षाबल गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2149.—पंजीयन क्रमांक 126 दिनांक 18-2-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, दीपांजली गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2150.—पंजीयन क्रमांक 79 दिनांक 7-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, सार्वजनिक गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. डी. घृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2151.—पंजीयन क्रमांक 96 दिनांक 7-3-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, शिवांजली गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. डी. घृतलहरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2152.—पंजीयन क्रमांक 130 दिनांक 17-5-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, पाटिलीपुत्र गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2153.—पंजीयन क्रमांक 150 दिनांक 11-7-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, रामानंद गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2154.—पंजीयन क्रमांक 81 दिनांक 8-9-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, आशियाना गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2155.—पंजीयन क्रमांक 89 दिनांक 20-11-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, सोनगंगा गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री पी. एस. मरकाम, व. स. नि को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2156.—पंजीयन क्रमांक 53 दिनांक 9-1-85 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, महाराणा गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. पी. आर. शर्मा, स. वि. अ. तखतपुर, जि. बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2168.—पंजीयन क्रमांक 78 दिनांक 15-4-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, शासकीय कर्मचारी कल्याण गृह निर्माण सह. समिति मंगला, जिला बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार, व. स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्र./परिसमापन/2007/2169.—पंजीयन क्रमांक 3177 दिनांक 16-12-86 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 9-8-07 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-7-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, हुगली गृह निर्माण सह. समिति मर्या. बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. पी. आर. शर्मा, स. वि. अ., तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.